राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/5933-6314 दिनांक : 10/04/2013

—: कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.18(I-66)आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजीभूस/2011/4721–5178 दिनांक 08.03.2011 के द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत गठित की जाने वाली जलग्रहण समिति को सम्बन्धित ग्राम पंचायत की उप समिति (जलग्रहण) घोषित किया गया था। उपर्युक्त आदेश के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार उप समिति (जलग्रहण) के खाते में रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में एक बार में अधिकतम रु. 5.00 लाख हस्तान्तरित करने एवं हस्तान्तरित राशि की 60% राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर राशि की अगली किश्त हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. की प्रगति हेतु आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में बार–बार परियोजना प्रबन्धकों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उप समिति (जलग्रहण) के खाते में राशि कम उपलब्ध होने के कारण अपेक्षित प्रगति अर्जित नहीं हो रही है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने, समायोजित होने एवं अगली किश्त हस्तान्तरित करने में समय लगता है, जिसके कारण कार्य की प्रगति, मजदूरों का भुगतान आदि बाधित हो रहे हैं।

इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. प्रथम बार में वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर द्वारा उप समिति (जलग्रहण) के खाते में रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में राशि रु. 5.00 लाख हस्तान्तरित की जायेगी।
2. उप समिति (जलग्रहण) द्वारा कार्य सम्पादित किये जाने के उपरान्त नियमानुसार माप पुस्तिका में कार्यों का इन्द्राज एवं मूल्यांकन विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. माप पुस्तिका में किये गये इन्द्राज एवं मूल्यांकन की प्रति सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा परियोजना प्रबन्धक को भुगतान की अनुशंषा एवं कार्य के फोटो के साथ प्रेषित की जायेगी।
4. परियोजना प्रबन्धक द्वारा उक्त मूल्यांकन की राशि के बराबर राशि अविलम्ब उप समिति (जलग्रहण) के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. राशि हस्तान्तरित करने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर को हस्तान्तरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा प्रेषित किया जायेगा, जिसका समायोजन वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिकतम 7 दिवस में किया जायेगा।
6. पूर्व में हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजित होने के पश्चात ही उप समिति (जलग्रहण) के खाते में अगली किश्त की राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
7. उपर्युक्त प्रक्रिया हेतु प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित की जायेगी।

उपर्युक्त दिशा निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से अनुमोदित है।

(डा0 आरूषी मलिक)
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(1-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/5933-6314 दिनांक : 10/04/2013

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर ।
8. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
10. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
11. पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता (जलग्रहण), पंचायत समिति
12. लेखाकार, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
13. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।

निदेशक